

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2015/डी-35

दिनांक:- 06/11/2015

:-कार्यवाही विवरण:-

विषय :- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 178वीं बैठक दिनांक 26.11.2015 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	जोन	विषय	निर्णय
1.	178.1	-	भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 177वीं बैठक दिनांक 19.10.2015 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 177वीं बैठक दिनांक 26.11.2015 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।
2	178.2	01	श्री श्याम सुन्दर मौसूण, निदेशक, मैसर्स सर्वोत्तम बिल्डहोम प्रा.लि. के खसरा नम्बर 307, ग्राम-रामपुरारूपा, जुगाड़ मार्डन, टैंक रोड़, जयपुर के प्रस्तावित वाणिज्यिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।
3	178.3	01	श्री राजेन्द्र बरड़िया, निदेशक बरड़िया रियल एस्टेट डवलपर्स प्रा.लि. के भूखण्ड संख्या-4, इन्द्रा प्लेस मालवीय नगर, जयपुर के व्यावसायिक भवन के संशोधित मानचित्र अनुमोदन व अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् संशोधित व्यावसायिक भवन मानचित्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- <ol style="list-style-type: none"> 1. टैरेस पर 13.60 मीटर X 7.50 मीटर त्र 102.00 व.मी. माप में अस्थाई शेड से कवर्ड करते हुए चिलर मशीन लगी हुई है। इसके अतिरिक्त खुले में 2.5 मीटर X 2.5 मीटर= 6.25 मीटर वर्गाकार व 2.92 मीटर व्यास की 6.69 व.मी. वृताकार मशीन लगी हुई है। इस प्रकार कुल 114.94 व.मी. क्षेत्र में सर्विसेज लगी हुई है। भवन विनियम 2010 के नियम 8.11 (ii) के अनुसार टैरेस में सर्विसेज अनुज्ञेय की जा सकती है। पूर्व भवन मानचित्र अनुमोदन के समय भवन विनियमानुसार अधिकतम 7 प्रतिशत सर्विस क्षेत्र की छूट ली जा चुकी है। टैरेस पर निर्मित सर्विसेज को अतिरिक्त एफ.ए.आर. मानते हुए बेटरमेन्ट लेवी ली जाकर अनुज्ञेय की जावें। 2. स्वामित्व व बकाया की रिपोर्ट हेतु उपायुक्त जोन-प्रथम को यू.ओ. नोट दिनांक 07.10.2015 को प्रेषित किया गया। अतः स्वामित्व व बकाया की रिपोर्ट प्राप्त हो जावें। 3. अधिवास प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित शुल्क लिया जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् व्यावसायिक उपयोग के संशोधित भवन मानचित्र मय अधिवास प्रमाण पत्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।

4	178.4	02	श्री डी.सी. अग्रवाल एण्ड कम्पनी जरिये मुख्यतयारआम श्री विभिषेक सिंह के व्यावसायिक भूखण्ड, कालवाड़ स्कीम, स्टेशन रोड, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि :- उपायुक्त जोन-2 के यू.ओ. नोट दिनांक 29.10.2015 के अनुसार मेट्रो पार्किंग हेतु समर्पित भूमि का कब्जा जविप्रा द्वारा लिया गया है। अतः समर्पित भूमि के बराबर एफ.ए.आर. देने हेतु राज्य सरकार को भेजने की आवश्यकता नहीं है। शेष निर्णय बीपीसी (बीपी) की बैठक दिनांक 19.10.2015 के अनुसार यथावत रहेंगे।
5.	178.5	06	श्री नाथुलाल शर्मा के खसरा नम्बर 770, ग्राम झोटवाड़ा, तहसील जयपुर, जिला जयपुर, झोटवाड़ा रोड, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय प्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में मानक 1.33 + 156.07 (सड़क मार्गाधिकार में समर्पित भूमि) अधिकतम बेटरमेन्ट लेवी सहित 2.25 अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 2.249 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया गया है। अतः मानक एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। 4. मौके पर श्रमिकों के लिए अस्थाई टीनशेड बने हुये है, जिन्हें हटाने के संबंध में आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावे। 5. नियमानुसार श्रमिक उपकर लिया जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् आवासीय उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
6.	178.6	07	श्री रूपेन्द्र पेरीवाल जरिये कोषाध्यक्ष, स्टेप बाई स्टेप शिक्षा समिति के भूखण्ड संख्या 2 (संस्थानिक), चित्रकुट, जयपुर के प्रस्तावित स्कूल भवन के संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् संस्थानिक भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.0 अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 1.854 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.0 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। 3. संशोधित भवन मानचित्रों के लिए उपायुक्त जोन से स्वामित्व एवं लेखा रिपोर्ट प्राप्त की जावे। 4. चूंकि प्रकरण पूर्व में बीपीसी (बीपी) की 163वीं बैठक में बेसमेन्ट + भूतल + 6 मंजिल तक

KM

				<p>अनुमोदित किया जा चुका है एवं तदनुसार आवेदक द्वारा सम्पूर्ण भवन की मांग राशि जमा करवा दी गई थी एवं पुनः प्रस्तुत संशोधित मानचित्रों में आंतरिक संरचना में परिवर्तन किया गया है। अतः प्रकरण में शास्ती लगाया जाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>5. पूर्व में अनुमोदित क्षेत्रफल के अतिरिक्त निर्माण पर नियमानुसार श्रमिक उपकर लिया जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात संस्थानिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
7.	178.7	03	<p>श्री मिहिर जोशी, टेरेट्री मैनेजर (रिटेल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. के भूखण्ड संख्या 2, सहकार मार्ग, लालकोठी, जयपुर के ऑफिस बिल्डिंग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन एवं अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् ऑफिस बिल्डिंग (व्यावसायिक) के भवन संशोधित मानचित्र मय अधिवास प्रमाण पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उपायुक्त जोन से स्वामित्व एवं लेखा रिपोर्ट प्राप्त की जावे। 2. मौके पर सौर ऊर्जा उपकरण का प्रावधान किया जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात ऑफिस बिल्डिंग (व्यावसायिक) के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन एवं अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जावे।</p>
8.	178.8	14ए	<p>श्री सीताराम टोडावत के भूखण्ड संख्या 13, हनुमान वाटिका ए-7, ग्राम-सालिगरामपुरा, तहसील-सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित EWS/LIG भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उद्बुधन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.33 अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 1.374 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। 4. भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 170वीं बैठक दिनांक 13.02.2015 में लिये गये निर्णय "750 वर्गमीटर से अधिक सभी आवासीय भूखण्डों में अग्र सेटबैक में बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छाड़कर बनाई जावे ताकि इस 6 मीटर भूमि में आगन्तुकों की पार्किंग की जा सके।" के अनुसार ही प्रकरण में अग्र सेटबैक में बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनवाई जावे। 3. प्रश्नगत भूखण्ड के भवन मानचित्र दिनांक 05.11.2014 को आवेदित है। मूल भूखण्ड खसरा नम्बर 88, ग्राम सुखिया, कं मूल भूखण्ड

				<p>के भवन मानचित्र भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 168वीं बैठक दिनांक 11.12.2014 में अनुमोदित हुए थे जिसमें प्रश्नगत भूखण्ड पर EWS/LIG दिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। तदनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर EWS/LIG प्लैट्स का प्रस्ताव समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात EWS/LIG प्लैट्स भवन के मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
9.	178.9	05	<p>श्री छतरसिंह हीरावत, निदेशक, एडवेंचर बिल्डकॉन प्रा.लि. के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 54 से 59, ज्ञान विहार (श्री गोविन्द गृह नि.स.स. लि.), जयपुर के प्रस्तावित संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय भवन संशोधित मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.2 अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा 2.24 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.2 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। 4. मौके पर भूखण्ड पर एक साईट ऑफिस बना हुआ है, जिसे हटाने के संबंध में आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावे। 5. नवीन निर्माण पर नियमानुसार श्रमिक उपकर लिया जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
10.	178.10	13	<p>श्री सुनील कुमार नागपाल, निदेशक, मैसर्स नानक होटल्स प्रा.लि. के खसरा नम्बर 104, 106 से 110, 112, 112/587, 113, 133/588, ग्राम चिमनपुरा उर्फ ढाब का नाला, तहसील आमेर, जयपुर के प्रस्तावित रिसोर्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् रिसोर्ट भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. मौके पर एक पुराना कमरा बना हुआ है, जिसे हटाने के संबंध में आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावे। 3. प्रकरण में आवेदक द्वारा 6357.84 व.मी. भूमि सडक मार्गाधिकार में निशुल्क समर्पित की गई है, अतः समर्पित की गई भूमि के बराबर का 0.4 एफ.ए.आर. के अतिरिक्त लाभ दिया जावे। 4. नियमानुसार श्रमिक उपकर लिया जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय</p>

				शुल्क जमा होने के पश्चात् रिसोर्ट भवन के मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
11.	178.11	08	श्रीमती सविता अग्रवाल के भूखण्ड संख्या 8, निजी खातेदारी की आवासीय योजना, विनायकपुरी, के भवन मानचित्र नियमितकरण बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय भवन के मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित/नियमित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मौके पर किये गये सेटबेक क्षेत्र में उल्लंघन प्रचलित अनियमित निर्माण नियमितकरण नियम 1989 के अन्तर्गत नियमित किये जाने योग्य है। जिसे नियमानुसार नियमित किया जावे। 2. भूखण्ड की लीज डीड के साथ ही संलग्न साईट प्लान के अनुसार बेसमेन्ट, भूतल व प्रथम तल कुल ऊँचाई 8.00 मीटर की निर्माण स्वीकृति जारी की गई है। अतः मौके पर निर्मित द्वितीय तल के लिये बिना अनुमति निर्माण शास्ति ली जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
12.	178.12	08	श्रीमती सविता अग्रवाल के भूखण्ड संख्या 7, निजी खातेदारी की आवासीय योजना, विनायकपुरी, के भवन मानचित्र नियमितकरण बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय भवन संशोधित मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित/नियमित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मौके पर किये गये सेटबेक क्षेत्र में उल्लंघन प्रचलित अनियमित निर्माण नियमितकरण नियम 1989 के अन्तर्गत नियमित किये जाने योग्य है। जिसे शास्ती ली जाकर नियमित किया जावे। 2. भूखण्ड की लीज डीड के साथ ही संलग्न साईट प्लान के अनुसार बेसमेन्ट, भूतल व प्रथम तल कुल ऊँचाई 8.00 मीटर की निर्माण स्वीकृति जारी की गई है। अतः मौके पर निर्मित द्वितीय तल के लिये बिना अनुमति निर्माण शास्ति ली जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् आवासीय भवन के संशोधित मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
13.	178.13	08	श्री आशु परवाल के भूखण्ड संख्या 9, निजी खातेदारी की आवासीय योजना, विनायकपुरी, के भवन मानचित्र नियमितकरण बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय भवन संशोधित मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित/नियमित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मौके पर किये गये सेटबेक क्षेत्र में उल्लंघन प्रचलित अनियमित निर्माण नियमितकरण नियम 1989 के अन्तर्गत नियमित किये जाने योग्य है। जिसे शास्ती ली जाकर नियमित किया जावे। 2. भूखण्ड की लीज डीड के साथ ही संलग्न साईट प्लान के अनुसार बेसमेन्ट, भूतल व प्रथम तल कुल ऊँचाई 8.00 मीटर की निर्माण स्वीकृति जारी की गई है। अतः मौके पर निर्मित द्वितीय तल के लिये बिना अनुमति निर्माण शास्ति ली जावे।

				उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात आवासीय भवन के संशोधित मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
14.	178.14	08	श्री आशु परवाल के भूखण्ड संख्या 10, निजी खातेदारी की आवासीय योजना, विनायकपुरी, के भवन मानचित्र नियमितिकरण बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय भवन संशोधित मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित/नियमित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मौके पर किये गये सेटबेक क्षेत्र में उल्लंघन प्रचलित अनियमित निर्माण नियमितिकरण नियम 1989 के अन्तर्गत नियमित किये जाने योग्य है। जिसे शास्ती ली जाकर नियमित किया जावें। 2. भूखण्ड की लीज डीड के साथ ही संलग्न साईट प्लान के अनुसार बेसमेन्ट, भूतल व प्रथम तल कुल ऊँचाई 8.00 मीटर की निर्माण स्वीकृति जारी की गई है। अतः मौके पर निर्मित द्वितीय तल के लिये बिना अनुमति निर्माण शास्ति ली जावें। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात आवासीय भवन के संशोधित मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
आयुक्त महोदय की आज्ञा से निम्नांकित अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।				
16.	178.16		श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल निदेशक मोजिका रियल एस्टेट एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. के खसरा नम्बर 25 सम्पूर्ण व 24, 26,27 का आंशिक भाग ग्राम पापड तहसील जयपुर के आवासीय परिसर की ऊँचाई निर्धारण बाबत।	<p>प्रकरण से संबंधित पत्रावली को अध्यक्ष, समिति द्वारा तलब किया गया। पत्रावली में उपलब्ध उपायुक्त, जोन-2 की मौका रिपोर्ट व अनुशंषा का समिति द्वारा अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रश्नगत सडक जिस पर विचाराधीन भूखण्ड स्थित है वर्तमान में मौके पर 40 फीट उपलब्ध है। उपायुक्त, जोन-2 द्वारा समिति को बताया गया कि प्रश्नगत सडक के मौके पर जो भी निर्माण है उसका स्कीम अथवा किसी भी तरह का अनुमोदन नहीं किया गया है। अतः इसको किसी भी समय हटाया जा सकता है।</p> <p>समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपायुक्त, जोन-2 से स्पष्ट रिपोर्ट ली जावे कि मौके पर सडक क्षेत्र में आ रहा निर्माण अस्थायी प्रकृति का है व बिना अनुमोदन के है तथा यह हटाये जाने योग्य है।</p> <p>उपायुक्त जोन से उपरोक्तानुसार रिपोर्ट आने तथा मौके पर हुआ निर्माण यदि अनुमोदित मानचित्र अनुसार है तो निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नवीन प्रस्तावित ऊँचाई हेतु अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 2. मानक एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. पर


 6

			<p>नियमानुसार पूर्व में जमा बेटरमेन्ट लेवी को घटाते हुए नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</p> <p>3. नवीन निर्माण हेतु नियमानुसार श्रमिक उपकर लिया जावें।</p> <p>उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने पर भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किया जावे। यदि मौके पर निर्माण अनुमोदित मानचित्रों से भिन्न है तो प्रार्थी से मौके के अनुसार संशोधित मानचित्र लिये जावें तथा उनका तकनीकी परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।</p>
--	--	--	--

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/स.स./बीपीसी(बीपी)/2015/डी-35

दिनांक:- 06/11/2016

पत्तिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (अभियान्त्रिकी-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर।
5. अति० आयुक्त (पूर्व)/प्रशासन/(एलपीसी)/(भूमि) एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
6. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
7. उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14-ए, जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि अविलम्ब जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
9. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

वरिष्ठ निदेशक एवं
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बीपी)

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 177वीं बैठक दिनांक 19.10.2015 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी:-

- | | |
|---|-------------|
| 1. श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। | अध्यक्ष, |
| 2. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य, |
| 3. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य, |
| 4. मुकेश मित्तल, वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी (बीपी), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य सचिव, |
- विशेष आमंत्रित :-**
5. श्री नवल किशोर बैरवा, उपायुक्त, जोन-2, जविप्रा, जयपुर।
 6. श्री गोपाल सैनी, उप नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जविप्रा, जयपुर।
 7. श्री अर्पित संचेती सहायक नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जविप्रा, जयपुर।


वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)